स्वयं सहायता समूह
हरित भारत के निर्माण में सामुदायिक शक्ति

पार्थ प्रतिम साहू

जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर की आशंका नहीं रह गई है, बल्कि यह भारत के ग्रामीण जीवन और विकास की दिशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली वास्तविकता बन चुका है। 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण में महिला-नेतृत्व वाले विकास की उभरती अवधारणा के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और संभावनाओं पर पुनर्विचार एक महत्वपूर्ण रणनीति है। स्वयं सहायता समूह न केवल जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता क्षरण जैसी चुनौतियों के समाधान में योगदान दे सकते हैं, बल्कि समावेशी और सतत ग्रामीण विकास को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अपने मज़बूत सामुदायिक जुड़ाव और सामाजिक पूँजी के कारण ये समूह हरित आजीविका और स्थानीय-स्तर पर जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने में सक्षम हैं। यह लेख स्वयं सहायता समूह को जलवायु-अनुकूल विकास के प्रभावी वाहक के रूप में सशक्त बनाने की रणनीतियों का विश्लेषण करता है।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में समूह-आधारित हस्तक्षेप आजीविका सुधार और सतत विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है। स्वयं सहायता समूह (SHGs) सामूहिक कार्रवाई के प्रभावी मंच हैं जो इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि समाज के हाशिए पर स्थित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों विशेषकर महिलाओं को संगठित कर विकास प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इससे न केवल लक्षित विकास को मज़बूती मिलती है, बल्कि ग्रामीण विकास के परिणाम भी अधिक प्रभावी होते हैं।

समय के साथ SHGs ने केवल बचत और सूक्ष्म वित्त तक सीमित रहने के बजाय सूक्ष्म उद्यम, कौशल विकास और आजीविका सृजन जैसे क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका का विस्तार

लेखक उद्यमिता विकास एवं वित्तीय समावेशन केंद्र (CEDFI) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR), हैदराबाद, भारत में सुशासन एवं नीति विश्लेषण केंद्र (CGGPA) के प्रभारी प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। ईमेलः ppsahu@nird.gov.in

किया है। साथ ही, ये समूह स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जलवायु परिवर्तन, सर्कुलर इकोनॉमी, 'अपशिष्ट से संपदा' जैसी उभरती प्राथमिकताओं तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को *'वोकल फॉर लोकल'* के माध्यम से सशक्त करने के संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका और संभावनाओं का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। इन क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का प्रभावी उपयोग समावेशी और सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम सिद्ध हो सकता है।

मुख्य मुद्दे एवं चिंताएँ

ग्रामीण भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लगातार अधिक संवेदनशील होता जा रहा है। बदलते वर्षा पैटर्न, बढ़ते तापमान तथा बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाएँ इसकी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटना 21वीं सदी की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है जो केवल सरकारों के लिए ही नहीं, बल्कि समुदायों और व्यवसायों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये प्रभाव भारत के प्राकृतिक पर्यावरण की नींव को प्रभावित करते हैं तथा इसके सामाजिक और आर्थिक ढाँचे पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। इसलिए वर्तमान और भविष्य दोनों प्रकार के जलवायु जोखिमों के लिए तैयारी करना आवश्यक है। मुख्य चुनौती एक ऐसे जलवायु-अनुकूल विकास ढाँचे के निर्माण की है जो सामाजिक रूप से समावेशी, लैंगिक रूप से संवेदनशील तथा पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से सतत आजीविका सुनिश्चित कर सके।

हाल के वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत आजीविका सुदृढ़ीकरण और आय वृद्धि हेतु कई पहलें लागू की गई हैं। इनमें उच्च मूल्य वाली कृषि एवं गैर-कृषि वस्तुओं के लिए मूल्य श्रृंखला विकास तथा उद्यम संवर्धन कार्यक्रम शामिल हैं। लखपति दीदी, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SVEP) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) जैसे कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने और उन्हें विस्तार देने में सहायता हेतु सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRP-EP) को स्थानीय मार्गदर्शक के रूप में विकसित करने पर केंद्रित हैं। भारत सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयास भी किए हैं।

इन प्रयासों के बावजूद बहुत कम स्वयं सहायता समूह उत्पादक और टिकाऊ उद्यमों में रूपांतरित हो पाए हैं। अधिकांश स्वयं सहायता समूह अभी भी जीवन-निर्वाह स्तर पर कार्य कर रहे हैं और अपनी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार नहीं कर पाए हैं। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह आधारित उद्यम जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि इनमें संसाधन दक्षता से जुड़ी जागरूकता और कौशल का अभाव है तथा बुनियादी ढाँचा भी सीमित है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इन उद्यमों के विभिन्न आयामों को प्रभावित करते हैं जैसे भौतिक अवसंरचना, उत्पादन प्रणाली, आपूर्ति एवं मूल्य श्रृंखला, कार्यबल की स्थिरता तथा बाज़ार और वित्त तक पहुँच। अनेक स्वयं सहायता समूह-आधारित उद्यमों में जलवायु संबंधी जोखिमों का आकलन, निगरानी और अनुकूलन करने की क्षमता का अभाव है। जलवायु परिवर्तन की अस्थिरता के प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, विशेषकर गर्मियों के दौरान बार-बार होने वाली बिजली कटौती और जल संकट के रूप में।

जलवायु परिवर्तन केवल चुनौतियाँ ही नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यम विकास के नए अवसर भी प्रस्तुत करता है। इसमें ऐसे जलवायु-अनुकूल उत्पादों और सेवाओं का विकास शामिल है, जो समुदायों और बाज़ारों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इन अवसरों का प्रभावी उपयोग स्वयं सहायता समूहों को अधिक सतत और लचीले व्यवसाय मॉडल की ओर अग्रसर कर सकता है।

अवसर और चुनौतियाँ

पिछले एक दशक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण भारत में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अवसरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समूह-आधारित एकजुटता ने महिलाओं की आकांक्षाओं, गतिशीलता और निर्णय क्षमता को घर और समुदाय दोनों स्तरों पर मज़बूत किया है। वर्तमान में भारत में 1.34 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें लगभग दस करोड़ सक्रिय सदस्य हैं,

बॉक्स 1: भारत के विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूह आधारित केस स्टडी / श्रेष्ठ अभ्यास

हस्तक्षेप	राज्य	प्रमुख विशेषताएँ
कुदुम्बश्री मॉडल	केरल	महिला-नेतृत्व में अपशिष्ट प्रबंधन उद्यम; जैविक खेती
ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF)	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	SHG आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
'पलाश' ब्रांडिंग पहल	झारखंड	शहद, दालें एवं हस्तशिल्प उत्पादों का साझा ब्रांड; हरित आजीविका
MAVIM मॉडल	महाराष्ट्र	सतत कृषि, पोषण उद्यान; SHGs का मूल्य शृंखला से जुड़ाव
वेस्ट टू वेल्थ SHGs	ओडिशा	कपड़ा एवं प्लास्टिक अपशिष्ट से उत्पाद निर्माण
NTFP एवं वन-आधारित आजीविका	पूर्वोत्तर राज्य	बाँस शिल्प, जलकुंभी उत्पाद; संरक्षण एवं आजीविका का समन्वय

इन समूहों में अधिकांश महिलाएँ गरीब और हाशिए पर स्थित समुदायों से हैं।

ये ज़मीन से जुड़े संस्थान अपने मज़बूत सामुदायिक जुड़ाव, सामाजिक विश्वास, वित्तीय समावेशन और संगठित ढाँचे के कारण स्थानीय-स्तर पर जलवायु जागरूकता, सतत प्रथाओं और हरित समाधान को बढ़ावा देने की बेहतर स्थिति में हैं। क्षमता निर्माण, मार्गदर्शन तथा संस्थागत सहयोग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना समुदाय की सहनशीलता को बढ़ाने के साथ-साथ भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी सुदृढ़ कर सकता है।

स्वयं सहायता समूह कई रणनीतिक क्षेत्रों में स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप जलवायु अनुकूलन और शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सतत कृषि के अंतर्गत जैविक एवं प्राकृतिक खेती, जैव उर्वरकों का उपयोग, कम्पोस्टिंग तथा रासायनिक इनपुट्स में कमी जैसी प्रथाएँ NRLM के तहत विभिन्न राज्यों में प्रोत्साहित की जा रही हैं। साथ ही, ये समूह जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों जैसे समन्वित कृषि प्रणाली (IFS), किचन गार्डन, जलवायु-सहिष्णु बीजों का उपयोग तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड अपनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जल संरक्षण और वाटरशेड प्रबंधन के क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह समुदायों को संगठित करने के साथ-साथ चेक डैम निर्माण, वर्षा जल संचयन तथा मृदा संरक्षण जैसी गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह तथा पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को पीएमकेएसवाई 2.0 दिशानिर्देशों में भी स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है।

स्वयं सहायता समूह अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं। कई राज्यों में ये समूह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। इनकी भूमिका केवल अपशिष्ट के संग्रह, पृथक्करण और पुनर्चक्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मूल्य संवर्धन के माध्यम से अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद जैसे थैले, चटाइयाँ तथा जलकुंभी से बने हस्तशिल्प उत्पाद तैयार करने तक विस्तृत है।

इसके अतिरिक्त, SHGs तेज़ी से नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों, विशेषकर सौर ऊर्जा की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। कुछ स्थानों पर ये समूह ऊर्जा उद्यमी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहाँ वे सौर लालटेन एवं प्रकाश उपकरणों के निर्माण, वितरण तथा रखरखाव में संलग्न हैं। वन एवं जनजातीय-बहुल क्षेत्रों में SHGs साझा प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन, गैर-लकड़ी वन उत्पादों (NTFPs) के ज़िम्मेदार उपयोग, वन पुनर्स्थापन तथा पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इन सभी क्षेत्रों में SHGs न केवल आजीविका सृजन में योगदान दे रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय सततता तथा जलवायु अनुकूलन एवं शमन प्रयासों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं (देखें बॉक्स 1)।

इन अवसरों के बावजूद, कई चुनौतियाँ और बाधाएँ ऐसी हैं जिनके कारण इन पहलों की व्यापक-स्तर पर पुनरावृत्ति और विस्तार नहीं हो पाया है। कई ग्रामीण समुदायों में विश्वसनीय जलवायु सूचना, तकनीकी ज्ञान तथा उपयुक्त समाधान अपनाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण की कमी है। इसलिए समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाना स्थानीय-स्तर पर कार्रवाई की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए। इसे निम्न उपायों के माध्यम से साकार किया जा सकता है–

क. **विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन**, जिनमें गैर-सरकारी संगठन, सरकारी एजेंसियाँ तथा किसान उत्पादक संगठन (FPOs) शामिल हों। इन बैठकों में स्थानीय डेटा, संवेदनशीलता विश्लेषण तथा भविष्य के जलवायु अनुमान के आधार पर जलवायु शिक्षा प्रदान की जाए।

ख. **स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की क्षमता का विकास** इस प्रकार किया जाए कि वे ग्राम समृद्धि एवं लचीलापन योजना (VPRP) में जलवायु मुद्दों को सम्मिलित कर सकें तथा उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में प्रभावी रूप से एकीकृत किया जा सके।

ग. **स्वयं सहायता समूहों के लिए नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम** आयोजित किए जाएँ, जिनमें जलवायु-अनुकूल कृषि, जल संरक्षण तथा स्वच्छ ऊर्जा अपनाने जैसे व्यावहारिक जलवायु कार्यों का प्रशिक्षण शामिल हो।

जलवायु-अनुकूल आजीविकाओं को आगे बढ़ाने के लिए लचीली कृषि पद्धतियाँ, समेकित कीट प्रबंधन, मिश्रित फसल प्रणाली तथा कृषि वानिकी जैसी तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा की पहुँच बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों का वितरण, सामुदायिक माइक्रोग्रिड एवं बायोगैस संयंत्रों की स्थापना तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना। इन प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को जलवायु वित्त तक बेहतर पहुँच, परियोजना प्रस्ताव निर्माण, वित्तीय प्रबंधन तथा प्रभाव मूल्यांकन में दक्ष बनाना आवश्यक है।

आगे की राह

यद्यपि स्वयं सहायता समूह ज़मीनी-स्तर पर जलवायु अनुकूलन और शमन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं, फिर भी यह क्षमता अभी तक पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाई जा सकी है। स्वयं सहायता समूह की भूमिका और संभावनाओं को विभिन्न सूक्ष्म योजना उपकरणों जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), ग्राम आपदा प्रबंधन योजना (VDMP) तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे मनरेगा (अब विकसित भारत–रोज़गार गारंटी एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास संघटक 2.0 (PMKSY–WDC 2.0) में पहचाना और सराहा गया है। तथापि, विशेषकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रयास अभी भी पर्याप्त नहीं हैं।

भारत में सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद है, जिसमें कृषि सखी/किसान सखी, पशु सखी, डॉक्टर दीदी, NTFP CRP, मत्स्य सखी, उद्योग सखी, CRP–एंटरप्राइज़ प्रमोशन (CRP-EP), बैंक मित्र, ई-CRP, सेतु दीदी, टैबलेट दीदी और पत्रकार दीदी जैसे अनेक कार्यकर्ता शामिल हैं, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी की क्षमता को नियमित एवं संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन की समझ तथा जलवायु-अनुकूल आजीविका को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कौशलों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

'ग्राम पंचायत विकास योजना' ज़मीनी-स्तर पर जलवायु मुद्दों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन केवल समुदायों को जागरूक करने के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय जलवायु चुनौतियों की पहचान और प्राथमिकता तय करने के लिए भी किया जाना चाहिए। पंचायत सचिवालय 'अति-स्थानीय मंच' या नोडल केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, जहाँ सरकारी विभागों, NGOs, CSR संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर जलवायु संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। इससे SHGs के लिए जलवायु-अनुकूल आजीविका के अवसरों के विस्तार हेतु सक्षम वातावरण तैयार होगा।

पंचायतों को स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और उद्यम विकास कार्यक्रमों के प्रति भी सक्रिय रूप से जागरूक करना चाहिए, विशेषकर उन योजनाओं के प्रति जिनके लिए वे पात्र हैं। साथ ही, विभिन्न राज्यों में संचालित श्रेष्ठ प्रथाओं और सफल पहलों का व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण कर उनके व्यापक प्रसार और पुनरावृत्ति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

वर्तमान स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में ज़मीनी-स्तर पर जलवायु कार्रवाई और स्थानीय समाधान को बढ़ावा देने की अत्यधिक क्षमता मौजूद है, विशेषकर कमज़ोर एवं वंचित समुदायों के लिए। इसके लिए लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रम, वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुँच, मज़बूत संस्थागत साझेदारी तथा विकेन्द्रीकृत नेतृत्व को बढ़ावा देना आवश्यक है। इन सभी पहलुओं को सुदृढ़ करना SHGs की पूर्ण क्षमता को साकार करने तथा जलवायु-अनुकूल एवं सतत ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ❑

'अपशिष्ट से संपदा' की प्रेरणादायक यात्रा

भारत में महिलाओं द्वारा संचालित कई प्रेरणादायक सतत विकास पहलें मौजूद हैं, जिन्हें दस्तावेज़ित कर व्यापक-स्तर पर साझा करना और दोहराना आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' के विभिन्न प्रसारणों में कई SHG आधारित उद्यमों का उल्लेख किया है, जिससे इन पहलों को राष्ट्रीय-स्तर पर पहचान और प्रेरणा मिली है।

यह उदाहरण ओडिशा के केंद्रपाड़ा ज़िले के एक छोटे से गाँव की 64 वर्षीय महिला श्रीमती कमला मोहरणा की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाता है। वे 2016 में स्थापित 'मा ठानापति स्वयं सहायता समूह' की अगुवाई करती हैं, जिसमें लगभग 30 महिलाएँ शामिल हैं।

यह समूह दूध के पाउच, पॉलीथीन बैग, खाद्य पैकेट और अन्य प्लास्टिक कचरे को एकत्र कर उन्हें उपयोगी एवं मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करता है जैसे टोकरी, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, फूलदान, हाथ पंखे और सजावटी वस्तुएँ।

नियमित रूप से अपशिष्ट एकत्र कर पुनर्चक्रण करने से यह समूह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस पहल को राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' कार्यक्रम में इसका उल्लेख किया। इसके बाद इस समूह को विभिन्न स्तरों पर सराहना प्राप्त हुई। आज यह गतिविधि महिलाओं के लिए आजीविका का एक स्थायी साधन बनने के साथ-साथ गाँव में स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ावा दे रही है। इनके नेतृत्व में अनेक ग्रामीण महिलाएँ "कचरे से संपदा" के मॉडल को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही हैं।